कार्यालय उपनिदेशक, फायर सर्विस, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।
पत्रांकः2015 / 15106 / एफआरजैड / फिरोजाबाद / 230 / डीडी/64 दिनांकःअक्टूबर, 19 ,2015
सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0),
फिरोजाबाद।

विषयः गाटा सं0–238 ग्राम कोटिकी तहसील टूण्डला एटा रोड, जनपद फिरोजाबाद पर प्रस्तावित पैट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु प्राविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक 370 / पैट्रोल सहायक / एन0ओ0सी0 / 2015 दिनाकः 29.09.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित रिटेल आउट की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा किया गया, तो उनकी संस्तुति आख्या दिनांकः13.10.2015 का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति आख्या दिनांकः17.10.2015 का अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिशीलन किया गया, तो निम्न विवरण पाया गयाः–

भवन की संरचना –

1–कुल भूखण्ड एरिया 1225.00वर्गमीटर ।
2–भवन की उँचाई 06.00मीटर ।

ढाँचागत व्यवस्था :–

3. **पहुँचमार्ग–** भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 14मीटर रोड की चौडाई है।
4. **प्रवेश द्वार की चौडाई–** 11मीटर मानक के अनुसार है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :– निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं प्रस्तावित की जाती है, जो पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

- ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 केजी – 02 अदद (प्रति डिस्पेसिंग मशीन)
- सी0ओ0टू0एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा. – 02 अदद
- एएफएफएफ एक्सटिंग्यूशर क्षमता 50 किग्रा – 01 अदद
- पानी / रेंत से भरी बाल्टियॉ(गोल पैदे वाली) – 6–6 अदद
- बालू का ढेर – 100 घन फुट
- बेल्चा / फावडा – 1–1 अदद
- वाटरजेल ब्लैकिट – 01 अदद
- धूम्रपान निषेध बोर्ड – आवश्यकतानुसार
- आपातकालीन सेवाओं के टेलीफोन नम्बरों की सूची

अन्य सुझाव / निर्देश –

1. विद्युत तथा अन्य उपकरणों के तार धातु की पाइप "जो स्पार्क प्रूफ हो" से होकर गुजारे जाएगें। इसमें निरीक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली के तारों के साथ ई.एल.सी.बी.(अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर) की व्यवस्था की जाएगी।
2. स्थल पर निकास लाइटनिंग / वेन्टीलेशन की व्यवस्थाऐ एन.बी.सी. के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
3. पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण तथा अन्य उपकरणों जहां अर्थिग की व्यवस्था की आवश्यकता हो तो पैट्रोलियम रूल्स 2002 के अनुरूप होनी चाहिए।
4. बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन एवं कन्ज्यूमर यूनिट में एम.सी.बी.(मेनियेचर सर्किट ब्रैकर) आईएस– 8828 के अनुरूप होनी चाहिए।
5. पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के समस्त निर्माण कार्य व उपकरण पैट्रोलियम रूल्स के मानको के अनुरूप होने चाहिए।

.... **कमशः पेज 02 पर** .....

D.D.
AGRA